न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–425/2026

नौतन थाना कांड सं0–32/2026 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(1)(s), अनु.जा.ज.जा. अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

प्रिंस कुमार गुप्ता उर्फ प्रिंस कुमार व अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री शैलेंद्र कुमार, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

02.04.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. प्रिंस कुमार गुप्ता उर्फ प्रिंस कुमार 2. राजू गुप्ता उर्फ राजू कुमार साह 3. विशाल कुमार गुप्ता उर्फ विशाल गुप्ता की ओर से नौतन थाना कांड संख्या 32/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(1)(s) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक विजय कुमार राम के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक दिनांक 26.01.2026 को समय करीब 07:00 बजे शाम में अपने घर के बगल में स्थित लिजेन्ड पब्लिक स्कूल में 26 जनवरी के अवसर पर हो रहे प्रोग्राम को अपने घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर देख रहा था तभी अचानक उसके गांव के ही प्रिंस कुमार गुप्ता, राजू गुप्ता, विशाल गुप्ता, विवेक गुप्ता, अपने–अपने हाथ में चाकू, फाईटर, लोहे का रड लेकर आ गए और आते ही सूचक को जाति सूचक शब्द गोड़वा सोड़वा साला भोसड़ी कहते हुए चारो तरफ से घेर लिए और प्रिंस कुमार गुप्ता सूचक के मुँह एवं नाक पर फाईटर से मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और विशाल गुप्ता, चाकू निकाल कर उसके सिर पर हमला कर दिया और सभी लोग लोहे के रड से उसे मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिये। चीख–पुकार सुनकर उसके घर के लोग आएं और उसे उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवतन ले जाकर उपचार कराएं तथा बेहतर इलाज हेतु उसे सदर अस्पताल, सिवान भेज दिया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठे मुकद्मा में पुलिस द्वारा फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि

लगातार
02.04.2026

अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है तथा उनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि कथित घटना दिनांक 26.01.2026 की बताई जा रही है तथा प्राथमिकी दिनांक 01.02.2026 को विलंब से बिना किसी कारण दर्शाये दर्ज करायी गई है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत आपराधिक वाद का पलटा मुकद्मा नौतन थाना कांड सं0 49/2026 दर्ज कराया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका वे लोग पालन करेंगे। अतः उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा.ज.जा. अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, नौतन थाना कांड संख्या 32/2026, आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(1)(s) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया और आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्य सूचक को चाकू, रड, फाईटर से मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने तथा उसे जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने का अभियोग है। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 3,4,8, में वर्णित)। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में आये साक्ष्य से आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आपराधिक मामले में अन्य धाराओं के साथ–साथ अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम का प्रथम दृष्टया अभियोग आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. प्रिंस कुमार गुप्ता उर्फ प्रिंस कुमार 2. राजू गुप्ता उर्फ राजू कुमार साह 3. विशाल कुमार गुप्ता उर्फ विशाल गुप्ता की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।